बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 54/ग्रा०वि० R.11019/146/2011-Sec07 पटना, दिनांक 04-08-11

ई-मेल
डाक

प्रेषक,

मदनजी पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा ।

विषय :- वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना (बाढ़) अंतर्गत केन्द्रांश द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में ₹ 1096.681 लाख (दस करोड़ छियानवे लाख अड़सठ हजार एक सौ) रूपये मात्र का वर्ष 2011-12 में आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-9567 दिनांक-27.07.11

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में कहना है कि वितीय वर्ष 2010-11 में इंदिरा आवास योजना (बाढ़) अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-J-12014/14/2010-RH(A/C)/Madhepura/73/2nd inst./Flood दिनांक-28.03.11 द्वारा केन्द्रांश द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त ₹ 3290.044 लाख (बतीस करोड़ नब्बे लाख चार हजार चार सौ) रूपये के विरूद्ध देय अनुपातिक राज्यांश के रूप में कुल ₹ 1096.681 लाख (दस करोड़ छियानवे लाख अड़सठ हजार एक सौ) रूपये वर्ष 2011-12 में आवंटित की जाती है :-

2) राशि का आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-9567 दिनांक-27.07.11 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है ।

3) आवंटित राशि माँग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना-उप शीर्ष-0102-इंदिरा आवास योजना, विपत्र कोड-पी.-2216031050102 राज्य योजना स्कीम कोड-**RUR-5373** के विषय शीर्ष-50-03 राज्यांश के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त-सह-परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार मधेपुरा से की जायेगी ।

5) यह आवंटन वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों एवं शर्तों का अनुपालन कर निर्गत किया जा रहा है ।

6) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए वित विभागीय परिपत्र संख्या-2561वि.(2) दि0-17.04.98 की कंडिका-2 में निहित प्रावधान को विभागीय पत्रांक-3873 दि0-12.04.06 द्वारा प्रभावहीन किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की एक मुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है । राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8593 दि0-17.11.07 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी ।

7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

8) उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध है कि आवंटित राशि की निकासी कर भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शनों के अधीन राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

04/08/11

9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(मदनजी पाण्डेय)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 54/आ०२० पटना, दिनांक 04-08-11

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 54/आ०२० पटना, दिनांक 04-08-11

प्रतिलिपि- श्रीमती सुनीता एच. खुराना, निदेशक (आर.एच.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001/वित विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी (सहरसा)/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/श्री प्रिय नवीन, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव